बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :— 6बी0/प्राक्क0—1064/2022 -885 पटना—15, दिनांक— 10.6.25

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय— **राज्य योजना के तहत सहरसा जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा के प्रखण्ड—पतरघट, ग्राम पंचायत—पतरघट के वार्ड सं0—4, 5, 6, 7 एवं 8 यानी कुल पाँच वार्डों में सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने हेतु (पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव सहित) 103.14211 लाख रू0 (एक करोड़ तीन लाख चौदह हजार दो सौ ग्यारह रू0) मात्र की योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः— राज्य योजना अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पतरघट ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" से आच्छादित ग्राम पंचायत—पतरघट के वार्ड सं0—4, 5, 6, 7 एवं 8 यानी कुल पाँच वार्डों में सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने हेतु (पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव सहित) 103.14211 लाख रू0 **(एक करोड़ तीन लाख चौदह हजार दो सौ ग्यारह रू0)** मात्र पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत विभागीय पत्रांक—6ए0/प्रा0—1039/2018—2505, दिनांक—01.10.2018 के कंडिका—2 की तालिका के क्रमांक—9 में पतरघट ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 68.236 लाख रू0 (अड़सठ लाख तेईस हजार छः सौ रु0) मात्र पर प्रदान की गई है। इस योजना से अच्छादित ग्राम पंचायत—पतरघट के वार्ड सं0—4, 5, 6, 7 एवं 8 **यानी कुल पाँच** वार्डों के सभी घरों को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण स्वीकृत योजना के तहत प्रावधानित अवयवों के अतिरिक्त विभिन्न ब्यास के 9550 मी0 अतिरिक्त HDPE पाईप बिछाने एवं पाँच वर्षों के रख—रखाव (मरम्मति) हेतु कार्य सम्पादित किया जाना है। जिस पर कुल व्यय 103.14211 लाख रू0 **(एक करोड़ तीन लाख चौदह हजार दो सौ ग्यारह रू0 मात्र)** संभावित है।

3. इस योजना के तहत पूर्व प्रावधानित अवयवों के अतिरिक्त विभिन्न ब्यास के 9550 मी0 HDPE पाईप बिछाने एवं पाँच वर्षों के रख—रखाव (मरम्मति) का कार्य सम्पादित किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय— उपमुख्य शीर्ष – 01—जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102—ग्रामीण जल पूर्ति – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0132—मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36—4215011020132—विषय शीर्ष —0132.53.01—मुख्य निर्माण कार्य (II) मुख्य शीर्ष – 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय— उपमुख्य शीर्ष – 01—जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— मांग संख्या —36 – उपशीर्ष -- 0114— मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड -- 36—4215017890114 – विषय शीर्ष —0114.53.01—मुख्य निर्माण कार्य (III) मुख्य शीर्ष— 4215— जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय— उपमुख्य शीर्ष— 01—जल पूर्ति – लघु शीर्ष—796—जनजातिय क्षेत्र उप योजना— मांग संख्या— 36 – उपशीर्ष – 0119— मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) —विपत्र कोड – 36—4215017960119 – विषय शीर्ष – 0119.53.01— मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना पर होने वाला परिचालन एवं रख—रखाव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष— 2215—जल पूर्ति तथा सफाई— उपमुख्य शीर्ष – 01—जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102—ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम— मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0107—ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव—सात निश्चय—2 विपत्र कोड – 36—2215011020107—विषय शीर्ष —0107—27—02 अनुरंक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सहरसा होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी सहरसा कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

8. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

9. जिन मदों में 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उन मदों के लिए अनुसूचित दर एवं एकरारनामा की दर में से जो दर कम होगा, वहीं दर अतिरिक्त मात्रा (प्रावधानित मात्रा से 20 प्रतिशत ज्यादा पर) के भुगतान हेतु मान्य होगा।

10. जिन मदों में बढ़ोतरी 50 प्रतिशत से ज्यादा है उन मदों की 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का भुगतान संबंधित अधीक्षण अभियंता के भौतिक सत्यापन एवं विशिष्ट भुगतान आदेश के बाद ही किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता अतिरिक्त मात्रा के 50 प्रतिशत तक का ही भुगतान अपने स्तर से करेंगे।

11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0 दिनांक–03–12–24 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

15. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

16. योजना का क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6बी0/प्राक्क0–1064/2022 -885 पटना –15 ,दिनांक :– 10.6.25

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा–12 एवं आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णिया/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यपालक अभियन्ता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरन्त विभाग के संज्ञान में लायेगें। इसकी पूण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)